

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

प्रस्ताव का नाम

मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु
आपेक्षित 0.165 है० प्राईवेट नोटिफाइड फॉरेस्ट भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
FP/UK/Others/43838/2020

1	स्थल जहां की वन भूमि भामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	अधोहस्ताक्षरी द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले बांज के वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसकी प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं।	सहमत हैं।
3	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग की संस्तुति के आधार पर जनहित में प्रस्ताव स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक - 25 फरवरी 2022।
स्थान - देहरादून।

हस्ताक्षर

(डी०के०सिंह)

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु आपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाइड फॉरेस्ट भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
FP/UK/Others/43838/2020

बांज के वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में बाधक बांज प्रजाति के वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग की उपस्थिति में दिनांक 23-02-2022 को सम्पन्न किया गया। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

भूमि का प्रकार	प्रजाति	परियोजना के निर्माण में बाधक बांज के वृक्षों का व्यास वर्ग वार विवरण										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-over	
नोटीफाइड निजी वन	बांज	0	8	01	0	0	0	0	0	0	0	09

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज प्रजाति के वृक्ष परियोजना के निर्माण में बाधक है जिनका पातन किया जाना अपरिहार्य है।

(डी०के०सिंह)

वन संरक्षक,

यमुना वन, उत्तराखण्ड, देहरादून।